FORB Learning Platform

स्क्रिप्ट: धर्म या विशवास की आज़ादी की विषय-सूची : धर्म और विश्वास प्रकट करने का अधिकार

धर्म या विश्वास की आज़ादी का दूसरा मूल तत्व यह है कि आप अपने विश्वास को प्रकट कर सकते हैं, चाहें धार्मिक शिक्षा द्वारा, अमल में लाकर, आराधना द्वारा और अपने धर्म का पालन करके। इसे धर्म या विश्वास की आज़ादी के बाहरी आयाम के रूप में जाना जाता है। धर्म या विश्वास को मानने या बदलने के विपरीत, इसे प्रकट करने का अधिकार परम नहीं है। कुछ परिस्थितियों में ये अधिकार सीमित हो सकता है।

प्रकट करने का मतलब है कि अपनी धार्मिक श्रध्दा या विश्वास को आप शब्दों और कार्यों में व्यक्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून लोगों को सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर, अकेले या दूसरों के साथ मिलकर ऐसा करने का अधिकार प्रदान करता है।

आप निजी तौर पर प्रार्थना करने के लिए, और एक समुदाय के हिस्से के रूप में अपने धर्म या विश्वास को व्यक्त करने के हकदार हैं, सामूहिक आराधना और परंपराओं के साथ।

और उस समुदाय को अधिकार भी हैं – अपने सदस्यों पर अधिकार नहीं, बल्कि राज्य के संबंध में अधिकार। इनमें सबसे अहम् बात यह है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे धार्मिक और विश्वास समुदाय जो कानूनी पहचान हासिल करना चाहते हैं, ऐसा कर सकें, ताकि वे बैंक खाते खोल सकें, लोगों को रोज़गार दे सकें, इमारतों पर मालकाना हक्क और संस्थानों को संचालित कर सकें।

व्यक्तियों और समूहों को धर्म या विश्वास को अमल में लाने या प्रकट करने के अनेक तरीके हैं, और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने ऐसी गतिविधियों के कई उदाहरण दिए हैं, जो संरक्षित हैं:

- आराधना के लिए एक साथ आना, त्यौहारों को मनाना और विश्राम
  दिनो का पालन करना।
- धार्मिक कपड़े पहनना और विशेष आहार का पालन करना।
- आराधना और कब्रिस्तान के लिए विशेष स्थान रखना, और धार्मिक
  प्रतीकों को प्रदर्शित करना।
- समाज में एक भूमिका निभाना, उदाहरण के लिए दानशील संगठन
  बना कर।
- धर्म या विश्वास के बारे में बातचीत करना, शिक्षा देना, और अगुओं को प्रशिक्षित व नियुक्त करना।
- अपने विश्वास के बारे में लिखना, प्रकाशित और प्रसारित करना
- और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वास के मुद्दों का संचार करना।
- आप स्वैच्छिक दान भी एकत्र कर सकते हैं।

अब आप ये कह रहे होंगे कि यह तो बहुत ही अच्छा है – इसी तरह के अधिकार तो मैं अपने समुदाय के लिए चाहता हूं !

साथ ही, आप परेशान भी हो रहे होंगे! उन समूहों के बारे में क्या, जो अपने सदस्यों को दबाते और नियंत्रित करते हैं, या दूसरों के प्रति नफरत या हिंसा का बढ़ावा देते हैं ? क्या उन्हे भी अपने विश्वास को मानने और उसका प्रसार करने की आज़ादी है?

मैं इसके लिए दो प्रतिक्रियायें देना चाहता हूं:

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अनुच्छेद 5 के अनुसार किसी भी अधिकार का उपयोग अन्य अधिकारों को नष्ट करने के लिए प्रतिबंधित है। इसलिए धर्म या विश्वास की आज़ादी किसी

राज्य, किसी व्यक्ति या समूदाय को अनुमति नहीं देती है कि वे लोगों को दबाने, हिंसा को उत्तेजित करने या हिंसक कार्यों को अंजाम देने का काम करें।

बेशक बहुत सारी सरकारें और समूह बल या दमन का उपयोग करते हैं। लेकिन धर्म या विश्वास की आज़ादी उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं देती है। इसके विपरीत, दमन और हिंसा से प्रभावित लोगों की रक्षा करने के लिए ही यह मौजूद है।

दूसरा, हालांकि अपने विश्वास को मानने और चुनने का अधिकार सीमित नहीं किया जा सकता है, फिर भी किसी धर्म या विश्वास को प्रकट करने या उसे अमल में लाने के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 18 में यह स्पष्ट है कि यह केवल तभी हो सकता है जब चार नियमों का पालन किया जाए:

कानून के अंतर्गत ही सीमा को निर्धारित किया जाना है, जो अन्य लोगों की रक्षा करने के लिए ज़रूरी हो, गैर-भेदभावपूर्ण हो, और उस समस्या के अनुपात के अनुरूप जिसे वह संबोधित करना चाहता है । ये नियम वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। जिनके बिना, सरकारें किसी भी और हरेक समूह को सीमित कर सकती हैं, जिनको वे पसंद नहीं करती हैं। सीमाएं अंतिम उपाय के तौर पर होनी चाहिए, न कि राज्य नियंत्रण के लिए एक हथियार। अफसोस की बात है कि कई सरकारें इन नियमों को अनदेखा करती हैं, और धर्म प्रकट करने के अधिकार पर राज्य उल्लंघन के अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं।

पंजीकरण पर प्रतिबंधक कानून एक बड़ी समस्या है । कुछ सरकारें, पंजीकरण को अनिवार्य कर देती हैं, और धर्म या विश्वास को प्रकट करने के अधिकार पर पंजीकरण की शर्त लगा देती हैं । इस से अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है। धर्म प्रकट करने के अधिकार के लिये पंजीकरण कभी भी पूर्व शर्त नहीं होना चाहिए। पंजीकरण तो केवल उन समुदायों को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए होना चाहिए, जो ऐसा चाहते हैं।

अक्सर वो राज्य जो गैर-पंजीकृत धार्मिक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं, वे ऐसे प्रतिबंधित कानूनों का भी इस्तमाल करते हैं जो समूहों के पंजीकरण की क्षमता को भी सीमित करते हैं। उदाहरण के लिए कजाकिस्तान में गैर-पंजीकृत धार्मिक गतिविधि पर पाबन्दी लगाईं गई हैं, और कई समूहों को पंजीकरण नहीं दिया गया है। अपने धार्मिक समुदाय के बाहर किसी और के साथ धर्म के बारे में बात करना भी गैर-कानूनी है, और सभी धार्मिक साहित्य को उपयोग से पहले सेंसर किया जाना अनिवार्य है। यह सभी धार्मिक समुदायों को प्रभावित करता है।

सरकारें विभिन्न तरीकों से धार्मिक कार्य को प्रतिबंधित करती हैं। वियतनामी सरकार होआ-हाओ बौद्धों को अपने एकमात्र पगोडा तक पहुंचने से रोकने के लिए चेक पॉइंट का उपयोग करती है। सऊदी अरब में, सार्वजनिक गैर-मुस्लिम आराधना हराम है, और आराधना के लिए एकत्रित सभाओं पर छापे मारकर कुछ प्रवासी मज़दूरों को गिरफ्तार कर निर्वासित किया गया है। और चीन और इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में, चर्च भवनों को अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया।

अतिवाद पर रूसी कानूनों के तहत हज़ारों प्रकाशनों पर पाबंदी लगा दी गई है, उनमे वे भी शामिल है जो शांतिपूर्ण ढंग से धार्मिक विश्वास को पेश करते हैं । ये जानना लगभग असम्भव है कि कौन सा प्रकाशन प्रतिबंधत है, लेकिन कब्ज़े के फलस्वरूप जुर्माना, कारावास या धार्मिक समुदायों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कौन से धार्मिक विश्वास का प्रचार कहां, कैसे और किस के द्वारा किया जा सकता है, उस पर भी कठोर प्रतिबंध लगे हैं।

फ्रांस में कुछ शहर के महापौरों ने बुर्किनी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, जो एक तैराकी पोशाक है जिसे चेहरे को छोड़कर सारे शरीर को ढंकने के लिए पहना जाता है, सार्वजनिक अनुशासन को ध्यान मे रखकर । इस कानून को उच्चतम प्रशासनिक अदालत द्वारा रद्द कर दिया गया था, लेकिन आपके चेहरे को ढंकने वाले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध अभी भी लागू है। और कुछ यूरोपीय देशों में, हलाल और कोशेर पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

समाज में कई लोगों और समूहों के क्रिया-कलापों के चलते भी धर्म को प्रकट करने के अधिकार सीमित हैं. 9 यूरोपीय देशों में 5000 से अधिक यहूदियों के एक सर्वेक्षण में, 22% ने कहा कि वे अपने स्वयं की सुरक्षा के डर के कारण *किप्पा* जैसे धार्मिक कपड़े पहनने से कतराते हैं। और कई देशों में, यहूदी कब्रिस्तानों को अपवित्र किया गया है।

मिस्र, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देशों के कुछ हिस्सों में, लोग इस्लाम के नाम पर हिंसा करने वाले आतंकवादी समूहों द्वारा हमलों के डर से आराधना स्थल में जाने से डरते हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के कुछ हिस्सों में, सामूहिक शुक्रवार प्रार्थनाएं करना असंभव हैं, मुसलमानों को निशाना बनाने वाले मिलिशिया के हमलों के जोखिम के कारण.

संक्षेप में, धर्म या विश्वास को प्रकट करने की आज़ादी, व्यक्तियों और समूहों दोनों के अधिकारों और विश्वासों की रक्षा करती है ताकि वे अपने धर्म या विशवास को शब्दो और कर्मों में व्यक्त कर सकें। इसे निजी और सार्वजनिक रूप से किया जा सकता है। मानव अधिकार दस्तावेजों में अनेक प्रकार की प्रथाओं के उदाहरण मिलते हैं, और समूहों के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है - कानूनी पहचान का अधिकार।

धर्म या विश्वास को प्रकट करने का अधिकार सीमित हो सकता है, लेकिन तभी जब कि नियमो के एक सख्त समूह का पालन किया जाय, यह दर्शाते हुए कि सीमा कानूनी है, अन्य लोगों की रक्षा के लिए आवश्यक है, गैर-भेदभावपूर्ण है, और उस समस्या के अनुपात में है जिससे उसे निपटना है.

अफसोस की बात है, कि दुनिया भर में कई सरकारें इन नियमों का पालन नहीं करती हैं। सरकारों और समाज के समूहों द्वारा धर्म या विश्वास को प्रकट करने के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है।

धर्म या विश्वास को प्रकट करने के अधिकार के बारे में आप अधिक जानकारी हमारे वेबसाइट पर प्रशिक्षण सामग्री में देख सकते हैं, जिनमें वे सभी मानव अधिकार दस्तावेज़ शामिल हैं, जिनका ज़िक्र यहां किया गया है

Copyright: SMC 2018